सूरजमल बनाम मुनिवासी

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

मु0 नं0 25/RTA   मु0नं0 - 276/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.12.2025	वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मिसल तलबी का पेश करने पर पत्रावली आगामी पेशी 08.01.2026 से पूर्व तलब होने पर आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में अप्रार्थी की तामील असालतन होकर लौटी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अवगत कराया है कि प्रकरण में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर से चाहा गया अनुमोदन/मय रास्ता कायमी हेतु आदेश प्राप्त हो चुका है। अनुमोदन प्राप्त हो जाने से प्रकरण में अन्तिम निर्णय पारित किये जाने हेतु आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया है। जिस पर बहस वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अवगत कराया कि प्रकरण में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर से प्रार्थी को अपनी भूमि खसरा नम्बर 4518/3856 में आवागमन हेतु ग्राम दिवराला की भूमि खसरा नम्बर 2200/4138 किस्म गै0 मु0 चारागाह में से 11 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई अर्थात 55 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु प्रस्तावित की है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता ही निकटतम होना बताया है। राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के नवीन परिपत्र क्रमांक प. 10 (13) राज-6/2001/27 दिनांक 14.08.2025 की बिन्दु संख्या 1 से 5 तक की शर्तो के अनुसार गै0 मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का अनुमोदन जरिये पत्रांक 5086/राजस्व/2025 दिनांक 18.12.2025 के द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। अतः ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के नवीन परिपत्र क्रमांक प. 10 (13) राज-6/2001/27 दिनांक 14.08.2025 में वर्णित निर्देशानुसार चारागाह भूमि में से प्रस्तावित [illegible] के बदले उतनी ही भूमि प्रार्थी द्वारा चारागाह [illegible] खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 4518/3856 की दक्षिणी सीमा के सहारे-सहारे चारागाह भूमि हेतु समर्पित किये जाने हेतु प्रस्तावित की है। जिसे नक्शें में लाल स्याही से दिखाया गया है। इसी अनुसार प्रकरण में अन्तिम निर्णय पारित किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।	

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2026.01.16 13:37:02 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज
	हमने वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी तथा बहस पर गंभीर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 की तीन प्रतियाँ, नक्शा ट्रेस की प्रति, तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त तथ्यात्मक जाँच रिपोर्ट दिनांकित 16.10.2025 एवं श्रीमान जिला कलक्टर महो सीकर के जरिये पत्रांक 5086 / राजस्व / 2025 दिनांक 18.12.2025 के द्वारा प्राप्त अनुमोदन इत्यादि का अवलोकन किया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 4518 / 3856 रकबा 0.2862 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही होने से प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि खसरा नम्बर 4518 / 3856 मे आवागमन हेतु ग्राम दिवराला की भूमि खसरा नम्बर 2200 / 4138 किस्म गै० मु० चारागाह में से 11 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौडाई अर्थात 55 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु रास्ता चाहा गया है तथा उक्त चाहा गया प्रस्तावित रास्ता ही निकटतम होना तथा चाहे गये रास्ते में भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं होना तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट से प्रकट होता है। चारागाह भूमियों में से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर० टी० एक्ट के तहत चाहा गया रास्ता राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के नवीन परिपत्र क्रमांक प. 10 (13) राज–6 / 2001 / 27 दिनांक 14.08.2025 में वर्णित निर्देशानुसार चारागाह भूमि में से प्रस्तावित रास्ते के बदले उतनी ही भूमि प्रार्थी द्वारा चारागाह भूमि से लगती हुई अपनी भूमि में से राज्य सरकार को चारागाह हेतु समर्पित किये जाने की शर्त पर ही देय होने तथा इस बाबत श्रीमान जिला कलक्टर महोदय से अनुमोदन लिया जाना आवश्यक होने से प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते की भूमि के बदले चारागाह भूमि से लगती खातेदार की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 4518 / 3856 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे चारागाह भूमि हेतु समर्पित किये जाने हेतु प्रस्तावित किये जाने पर इस कार्यालय के पत्रांक 4071 / रीडर / 2025 दिनांक 20.11.2025 के द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महो. सीकर से अनुमोदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2026.01.16 13:37:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

हुक्म या कार्यवाही मय मयुस्ताखर जज

अपील 251RM

जरिये 226/2025

नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

चाहा गया। जिसकी पालना में श्रीमान जिला कलक्टर महो. सीकर के जरिये पत्रांक 5086/राजस्व/2025 दिनांक 18.12.2025 के द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। जिसमें राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के नवीन परिपत्र क्रमांक प. 10 (13) राज-6/2001/27 दिनांक 14.08.2025 की बिन्दु संख्या 1 से 5 तक की शर्तों के अनुसार गै0 मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। उक्त प्राप्त अनुमोदन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर. टी. एक्ट को न्यायहित में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी की जोत पर आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने, कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं होने, जोत की सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं होकर आत्यंतिक आवश्यकता होने के कारण प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 के तहत प्रार्थी द्वारा 5 मीटर चौड़ाई में चाहे गये रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः उपयुर्क्त विवेचन अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 को स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 4518/3856 रकबा 0.2862 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि खसरा नम्बर 4518/3856 में आवागमन हेतु ग्राम दिवराला की भूमि खसरा नम्बर 2200/4138 किस्म गै0 मु0 चारागाह में से 11 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई अर्थात 55 वर्गमीटर भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2026.01.16 13:37:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

रास्ते हेतु मुख्य सड़क से जोड़ती हुई तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित किये गये नजरी नक्शा में दर्शितानुसार 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता दिया जाता है तथा उस रास्ते के बदले में चारागाह भूमि लगती प्रार्थी खातेदार की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 4518/3852 की दक्षिणी सीमा के सहारे-सहारे तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट में दर्शितानुसार चारागाह भूमि हेतु समर्पित किये जाने पर 55 वर्गमीटर भूमि को चारागाह भूमि में दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावें। चूंकि रास्ते में लगने वाली भूमियाँ बिलानाम सरकार किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज होने के कारण उक्त भूमियों की खातेदारी से रकबा रास्ता कम करने के बाद खातेदारी बदस्तूर जमाबन्दी रखी जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्देश दिये जाते है कि उक्तानुसार चारागाह हेतु भूमि समर्पण उपरान्त प्रस्तावित रास्ते के नामान्तकरण की कार्यवाही की जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित संलग्न नजरी नक्शा को निर्णय का भाग बनाया जाता है। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदारान् के हिस्से पर यथावत रहेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पालनार्थ भिजवाई जाकर तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

01/2152
01-01-2026

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2026.01.16 13:37:02 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)